

कार्यालय नगर आयुक्त नगर निगम, रुद्रपुर ऊधम सिंह नगर

e-mail: nagarnigamrudrapur@gmail.com

visit www.nagarnigamrudrapur.com

दूरभाष - 05944 242400 फैक्स - 05944 243318

पत्रांक - १६८१ / कर कक्ष / २०२२-२३ P.B

दिनांक - १६.९.२२

"ई-निविदा सूचना"

एतद् द्वारा सर्व साधारण को सूचित किया जाता है कि कार्यालय नगर निगम, रुद्रपुर द्वारा निम्नलिखित निविदाएँ आमंत्रित की जाती हैं।

क्र सं	कार्य का नाम	निविदा की तिथियाँ	निविदा खोलने की तिथि व समय	जानकारी हेतु कक्ष / अनुभाग
१.	होडिंग / यूनिपोल विज्ञापन शुल्क उसूली	दि ० १६.९.२२ के ११:०० AM से दि ० १६.९.२२ के ११:३० AM तक	दि ० १६.९.२२ के १२:०० PM	कक्ष सं ० १२
२.	डिजिटल स्कीन विज्ञापन (यूनिपोल) लगाये जाने हेतु निविदा	दि ० १६.९.२२ के ११:०० AM से दि ० १६.९.२२ के ११:३० AM तक	दि ० १६.९.२२ के १२:०० PM	कक्ष सं ० १२

उपरोक्त ई-निविदा <http://uktenders.gov.in> पर देखी जा सकती है। निविदाओं की नियम व शर्तें नगर निगम की वेबसाइट www.nagarnigamrudrapur.com पर भी देखी जा सकती हैं।

नगर आयुक्त
नगर निगम, रुद्रपुर
ऊधमसिंह नगर

महापौर
नगर निगम, रुद्रपुर
ऊधमसिंह नगर

कार्यालय नगर आयुक्त नगर निगम, रुद्रपुर ऊधम सिंह नगर

e-mail: nagarnigamrudrapur@gmail.com

visit www.nagarnigamrudrapur.com

दूरभाष - 05944 242400 फैक्स - 05944 243318

पत्रांक - १६८१ / कर कक्ष / २०२२-२३

दिनांक - १६.९.२२

प्रतिलिपि - निम्न को सूचनार्थ एवं नोटिस बोर्ड पर चर्चा हेतु प्रेषित-

- कार्यालय जिलाधिकारी, ऊधमसिंह नगर।
- कार्यालय मुख्य विकास अधिकारी, ऊधमसिंह नगर।
- कार्यालय मुख्य कोषाधिकारी, ऊधमसिंह नगर।
- सम्पादक अमर-उत्तराखण्ड एवं उत्तराखण्ड को इस आशय से प्रेषित कि कृपया उक्त सूचना को अपने दैनिक समाचार पत्र में दिनांक १६.९.२२ के अंक में चूनतम दरों में पठनीय भाग में प्रकाशित किये जाने एवं उक्त समाचार पत्र की दो प्रतियों सहित विल भुगतान हेतु इस कार्यालय को प्रेषित करने का कार्य कर।
- श्री तपन कुमार राय, कनिष्ठ सहायक सह डाइआ को इस निर्देश के साथ प्रेषित कि उपरोक्त निविदा सूचना निविदा शर्ते उत्तराखण्ड की वेबसाइट <http://uktenders.gov.in> व नगर निगम, रुद्रपुर की वेबसाइट www.nagarnigamrudrapur.com में अपलोड करना एवं निश्चित तिथि जो निविदा कमेटी के समक्ष टैण्डर खोलना सुनिश्चित कर।
- कार्यालय नगर निगम, रुद्रपुर ऊधमसिंह नगर के सूचना पट्ट पर चर्चा हेतु।

नगर आयुक्त
नगर निगम, रुद्रपुर
ऊधमसिंह नगर

**उत्तराखण्ड नगर निगम (विज्ञापन अनुज्ञा एवं विज्ञापन पर कर का निर्धारण और वसूली) नियमावली
2015 के अनुपालन में –नगर निगम क्षेत्रान्तर्गत डिजिटल स्क्रीन विज्ञापन लगाने हेतु ई-निविदा
(2022–24) की शर्ते एवं प्रावधान:-**

1. डिजिटल स्क्रीन विज्ञापन (यूनिपोल) लगाने हेतु ठेके की अवधि कार्यादेश जारी होने की तिथि से 02 वर्ष तक के लिये मान्य होगी।
2. नगर निगम द्वारा निविदा हेतु प्रत्येक डिजिटल के लिए न्यूनतम बोली की धनराशि ₹0 48,000.00 (ल० अड्स०लीस हजार मात्र) दो (02) वर्ष तक के लिये निर्धारित है। अतः प्रत्येक डिजिटल हेतु अलग-अलग निविदा भी डाली जा सकती है।
3. उच्चतम निविदादाता की दरे (ठेका) स्वीकृत होने के 03 (तीन) दिवस के अन्दर नियमानुसार अनुबन्ध एवं रजिस्ट्रेशन की कार्यादाही स्वयं के व्यय पर पूर्ण करनी होगी, जिस हेतु निर्धारित गूल्य के स्टाम्प पेपर (निविदा राशि का 03 प्रतिशत) नगर निगम कार्यालय में प्रस्तुत करने होगे। ठेकदार को कार्यादेश अनुबन्ध एवं रजिस्ट्रेशन की कार्यादाही पूर्ण किये जाने के उपरान्त ही दिया जायेगा। स्टाम्प शुल्क, नहानिरीक्षक निवधन उत्तराखण्ड देहरादून के समय-समय पर हुए आदेशों के अन्तर्गत ठेके की राशि के 03 प्रतिशत की दर से देय होगा।
4. भविष्य में यातायात, जनसुविधा, सौन्दर्यकरण की दृष्टि या उत्तराखण्ड शासन, जिला प्रशासन और मार्ग न्यायालय के आदेश पर कोई भी डिजिटल स्क्रीन हटाने की आवश्यकता होती है, तो सम्बन्धित एजेन्सी को निर्धारित समय में डिजिटल स्क्रीन को हटाना होगा। इस सम्बन्ध में एजेन्सी को कोई आर्थिक क्षति होती है, तो क्षतिपूर्ति देय हेतु समिति का निर्णय अनियम एवं मान्य होगा।
5. तकनीकी निविदा के साथ आधार कार्ड, पेन कार्ड, जी०एस०टी० रजिस्ट्रेशन अनिवार्य है, एवं किन्तु 05 वर्षों ने से (वर्ष 2016–17, 2017–18, 2018–19, 2019–20, 2020–21) किन्तु 03 वर्षों का प्रत्येक वर्ष का उन ओवर रु० 1,00,000.00 (रु० १ लाख मात्र) का आयकर रिटैन सलग्न करना अनिवार्य होगा तथा सक्रम प्राधिकारी (जिलाधिकारी अथवा उपजिलाधिकारी) या सी०१० द्वारा निर्गत नवीनतम हैसियत प्रमाण / Net Worth प्रमाण पत्र (दोनों ही नाम्य) मूल प्रति सलग्न करना अनिवार्य होगा। हैसियत प्रमाण पत्र ०६ साह से अधिक पुराना होने की दशा में निविदा दाता इस आशय का शपथ पत्र प्रस्तुत करेगा कि उसके हुए उक्त अवधि में अपनी सम्पत्ति को खुद-बुद्ध नहीं किया गया है ई-निविदा के साथ-साथ निविदा प्रपत्र की स्वप्रमाणित छायाप्रति सहित निविदा नगर निगम कार्यालय में रखे गये निविदा बॉक्स में जमा करना अनिवार्य होगा अन्यथा की दशा में निविदा दाता की निविदा निरस्त कर दी जायेगी।
6. निविदा प्रपत्र के साथ प्रस्तावित प्रत्येक निविदा धनराशि की 10 प्रतिशत (रु० ४,८००.०० मात्र) धनराशि जो कि नगर आयुक्त नगर निगम रुद्रपुर के नाम दन्धक हो, प्रतिभूति के रूप में एन०एस०टी०/एफ०टी०आ०० ले रूप में सलग्न करना अनिवार्य है, जिसे ई-निविदा के साथ मूलरूप में नगर निगम कार्यालय में रखे गये निविदा बॉक्स में जमा करना होगा।
7. तकनीकी निविदा स्वीकृत होने पर ही वित्तीय निविदा खोली जायेगी।
8. निविदादाता को निविदा स्वीकृत होने पर कुल प्रस्तावित निविदा धनराशि की 50 प्रतिशत धनराशि तथा 18 प्रतिशत जी०एस०टी० की अतिरिक्त धनराशि सहित निविदा स्वीकृति के 03 दिन के भीतर जमा करनी होगी तथा निविदा की अवशेष 50 प्रतिशत धनराशि एवं जी०एस०टी० अतिरिक्त 08 माह के भीतर जमा करना अनिवार्य होगा अन्यथा निविदादाता जिसकी निविदा स्वीकृत हुई हो, की अनुज्ञा समाप्त कर दी जायेगी, साथ ही घराहर/प्रतिभूति राशि यदि कोई हो तो जब्त कर दी जायेगी तथा द्वितीय बोलीदाता (H2) को उतनी ही धनराशि पर कार्य करने की कार्यादाही की जायेगी।

9. अपरिहार्य कारणों से यदि समय निविदा न हो पाने की दशा में निविदा धनराशि में 10 प्रतिशत या उससे अधिक की घट्टि करते हुए समयावृद्धि किये जाने हेतु बोर्ड/समिति का निर्णय अतिम होगा।
10. डिजिटल स्क्रीन विज्ञापन (यूनिपोल) इस प्रकार लगाना होगा कि किसी प्रकार की दुर्घटना न हो किर मी यदि कोई घटना / दुर्घटना होती है, तो उसकी सम्पूर्ण जिम्मेदारी अनुबन्धकर्ता/फर्म/टेकदार की होगी।
11. डिजिटल स्क्रीन विज्ञापन (यूनिपोल) का अधिकतम साईज 6.0मीx3.0मी से अधिक हो और इसका तल आधार भूतल से ऊपर 2.5 मी से कम नहीं होगा या स्थल के अनुसार उस करना होगा। यूनिपोल चिनित किये गए स्थलों पर ही लगाये जायेंगे। स्वीकृत स्थलों के अतिरिक्त अन्य स्थलों पर यूनिपोल नहीं लगाये जायेंगे।
12. निविदादाता को प्रत्येक एक घटे के पश्चात 5 मिनट मात्र व्यायालय/राज्य सरकार/जिला प्रशासन/नगर निगम की योजनाओं इत्यादि से सम्बन्धित विज्ञापन प्रदर्शित किया जाना अनिवार्य होगा।
13. किसी भी निविदा दाता को ब्लैक लिस्टेड होने पर निविदा में भाग लेने का अधिकार नहीं होगा। 'निविदादाता इस आशय का शपथ पत्र प्रस्तुत करेगा कि वह ब्लैक लिस्ट नहीं है तथा उसके नाम पर किसी भी सरकारी विभाग/स्वायत्त निकाय/संस्था में देनदारी नहीं है।'
14. डिजिटल स्क्रीन विज्ञापन (यूनिपोल) एजेन्सी द्वारा अपने स्थाय के व्यय पर ही लगाये जायेंगे। नगर निगम द्वारा उपरोक्त के सम्बन्ध में कोई भी धनराशि देय नहीं होगी।
15. डिजिटल स्क्रीन विज्ञापनों पर बिजली के कनेक्शन की व्यवस्था एजेन्सी द्वारा स्थाय के व्यय पर ही की जायेगी। विद्युत बिलों एवं अन्य उपकरणों का भुगतान भी स्थाय के व्यय पर करना होगा।
16. सरकार द्वारा प्रतिबन्धित उत्पादों जैसे शराब, तम्बाकू, सिगरेट आदि के विज्ञापन एवं अश्वील विज्ञापन तथा आम जननमानस में दृष्टि फेलाने, साम्राज्यिक सौहार्द को बिगड़ने वाले विज्ञापन तथा शान्ति एवं कानून व्यवस्था को बिगड़ने वाले विज्ञापन प्रसारित नहीं किये जायेंगे।
17. किसी भी विवाद की स्थिति में नगर आयुक्त, नगर निगम, रुद्रपुर का निर्णय साल्व होगा, तथा तेक के प्राचिदानी के प्रत्यर्तन एवं प्राधिकृत समितियों तथा प्राधिकारियों द्वारा लिए गए निर्णय में विवाद होने की स्थिति में प्रमावित पक्ष द्वारा अपीलीय अधिकारी (जिलाधिकारी ऊदमसिह नगर) के यहां अपील की जा सकती है।
18. किसी भी ई-निविदा अथवा समस्त निविदाओं को सर्विकार/अस्वीकार करने का अधिकार नगर आयुक्त, नगर निगम, रुद्रपुर में निहित होगा। किसी भी विवाद की स्थिति में व्यायिक क्षेत्र जिला ऊदम सिह-नगर होगा।
19. निविदादाता को निविदा लिखि समाप्त होने के पश्चात ही जमानह की धनराशि वापस की जायेगी।
20. सम्बन्धित डिजिटल स्क्रीन विज्ञापन (यूनिपोल) एजेन्सी को समय-समय पर जारी मात्र व्यायालय/जिला प्रशासन/निगम के आदेशों का अनुपालन करना होगा।
21. डिजिटल स्क्रीन विज्ञापन (यूनिपोल) में लगे व्यक्तियों, श्रमिकों या फर्म के किसी भी कार्मिक के साथ घटना/दुर्घटना पर निगम की कोई जिम्मेदारी नहीं होगी। कर्मिकों का नियमानुसार पी०पी० एफ० बीमा, सुरक्षा उपकरणों आदि की व्यवस्था फर्म को स्थाय करनी होगी।
22. निविदादाता को अपना स्थायी/अस्थायी पता व मोबाइल व ई-मेल जिस पर उससे संस्पर्श किया जा सके देना अनिवार्य होगा व इसके परिवर्तन की दशा में उसे तत्काल विभाग को सूचित करना होगा। निविदादाता को मोबाइल पर दी गयी सूचना नोटिस की भाँति ही समझी जायेगी।
23. निविदादाता प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से कोई सिडीकेट या कार्टेल या पूर्व में रजिस्टर्ड ग्रुप बनाकर निविदा की प्रक्रिया को प्रतिकूल रूप से प्रमावित करने का प्रयास नहीं करेगा। यदि ऐसा कोई तथ्य प्रकाश में आता है तो उसकी निविदा दिना नोटिस के नियस्त की जा सकेगी तथा उसे भविष्य के लिये ब्लैक लिस्ट किया जा सकेगा।
24. डिजिटल स्क्रीन का फाउन्डेशन व उसका स्वरूप नगर निगम के अधिकारी अधिकारी/सहायक अधिकारी द्वारा उल्लिखित व्यावे के अनुसार ही रखना होगा।

25. प्रत्येक डिजिटल स्क्रीन विज्ञापन को भूमि पर दृढ़तापूर्वक अवलम्बित और स्थिर किया जायेगा। अवलम्बन और स्थिरक सुसम्बन्धीन संसाधित धातु (स्टील) के होगे।
26. अनुज्ञा के बाले तक ही प्रभावी होगी जिस अवधि के लिये प्रदान की गयी है। भूतल से विज्ञापन पट्ट की ऊंचाई 6 मी० से अधिक नहीं होगी।
27. ऐसी सघनता या चमक वाले प्रदीप विज्ञापन और विज्ञापन पट्ट जिससे चाँद उत्थन हो या चालक अथवा पैदल चलने वालों की दृष्टि बहित होती हो, या जिससे किसी चालन किया में विछ्न पड़ता हो, ऐसे विज्ञापन पट्ट नहीं लगाये जायेंगे तथा समय-समय पर ठेकेदार द्वारा घूनीपोल का अनुरक्षण (Maintenance) किया जायेगा।
28. सभी डिजिटल स्क्रीन विज्ञापन (यूनिपोल) अवलम्बों, बंधनी, रस्ता और स्थिरक के साथ भली-भाति सरम्मत किये जाये, जो कि ढाँचागत और कलात्मक दोनों ही दृष्टिकोण से होगी, तथा समय-समय पर उनका रग-रोगन किया जायेगा जिससे नगर की सुन्दरता बनी रहे।
29. अनुबन्धकर्ता का यह कर्तव्य व उत्तरदायित होगा कि वह विज्ञापन द्वारा ऐसे गये परिसर में सफाई, स्वच्छता और स्वास्थ्य सम्बन्धी परिस्थितियों का ध्यान रखें।
30. डिजिटल स्क्रीन विज्ञापन (यूनिपोल) अनुज्ञात स्थान पर ही प्रदर्शित किये जायेंगे, संप्रदर्शित किये जायेंगे या परिनिर्मित किये जायेंगे।
31. राज्य सरकार या नगर निगम द्वारा पी०पी०पी० मोड में प्रस्तावित ऐसी योजनाएँ जिसमें विज्ञापन के अधिकार भी दिये गये हों पर यह शर्त लागू नहीं होगी।
32. निविदादाता को उत्तराखण्ड लोक सम्पत्ति विरुपण निवारण नियमावली 2009 में विहीन प्रविधानों का अनुपालन करना भी अनिवार्य होगा।
33. यदि प्रस्तावित विनिहित स्थलों पर अपरिहार्य कारणों से स्थल परिवर्तित करने की आवश्यकता होती है तो उसके स्थान पर अनुबन्धकर्ता को नया स्थल विनिहित कर दिया जायेगा। नये स्थल चयन में समिति का निर्णय अंतिम तमाज्ञ होगा।
34. निविदा खोलते समय समस्त पत्रों की मूल प्रति उपलब्ध कराना आवश्यक होगी। अन्यथा निविदा निरस्त कर दी जायेगी।
35. ठेका स्वीकृत होने की विधि में ई-निविदा की शर्त अनुबन्ध का भाग होगी, तथा उपरोक्त में से किसी भी शर्त के उल्लंघन होने पर अनुबन्धकर्ता को 15 दिवस का नोटिस दिया जायेगा। नियत तिथि में उभा समाधान न किय जाने पर प्रथम बार में रु० 5,000/- दूसरी बार में रु० 10,000/- जुर्माना व तीसरी बार में उके निरस्त करते हुए जनानत घनराशि जब करते हुए अनुबन्ध निरस्त कर पुन निविदा आमंत्रित की जायेगी।
36. स्कैप की नीलामी— नगर निगम सीमा में अवैध रूप से विज्ञापन के लिये प्रयुक्त वस्तुओं खेतों, गांठ, घूनीपोल, जाल, रंगिल, ग्रिल, धेता, ढोया आदि को बाहें वह नगर निगम की सार्वजनिक भूमियों, भवन, सङ्क, खुड़जा, डियाइलर आदि पर ही अथवा अन्य किसी सार्वजनिक अथवा व्यक्तिगत भूमि अथवा भवन पर हो या अन्य प्रकार से हो, नगर आयुक्त, नगर निगम अधिनियम के अन्तर्गत प्राप्त अधिकारों के तहत जब्त कर लेगा तथा तक्ष व कबाड़ को अधिनियम की धारा 521 के अन्तर्गत नीलामी अथवा अन्य प्रकार से विक्रय अथवा निस्तारित कर सकता है, जैसा वह उचित समझे।

अनुज्ञा समाप्त कर दी जायेगी, यदि—

- (क) निविदा दर निर्धारित अनुज्ञा शर्तों का किसी भी रूप में उल्लंघन किया जाता है।
- (ख) प्रस्तावित डिजिटल स्क्रीन विज्ञापन (यूनिपोल) अशिष्ट, अश्लील, धृणास्पद, वीभत्स, या आपलिजनक प्रकृति का या नगर निगम के प्रति प्रतिकूल प्रभाव डालने वाला या राजनीतिक अभियान को उकसाने वाला या जनता अथवा किसी विशिष्ट वर्ग के व्यक्तियों हेतु अनिष्टकर या झातिकारक प्रभाव डालने हेतु संगठित प्रकृति का हो या ऐसे स्थान पर ऐसी विधि से या किसी ऐसे माध्यम से संप्रदर्शित हो, जैसा कि नगर आयुक्त की साथ में उसमें किसी पहास की

सुविधाओं पर क्षतिकारक प्रभाव पड़ने या विकृत होने की सम्भावना हो या इसमें आपत्तिजनक लेख या अलील नग्न रेखांशित्र या मदोन्मत्ता को कोई प्रतीक अन्तरिष्ट हो।

- (ग) प्रस्तावित विज्ञापन से लोक शान्ति या प्रशान्ति में दरार उत्पन्न होने की सम्भावना हो या लोकनीति और एकता के विरुद्ध हो।

डिजिटल स्क्रीन लगाये जाने हेतु चयनित स्थल

क्र.सं.	चयनित स्थल	साइज	राशि
1	नगर निगम सीमा समाप्ति बोर्ड के पास डिग्री कॉलेज के दायी ओर।	15x8	48,000.00
2	एस0बी0आई0 इन्ड्रा चौक के पास।	15x8	48,000.00
3	गाबा चौक घर्मकाटे के साथ पेट्रोल पम्प के पास।	15x8	48,000.00
4	सुमाष चन्द्र बोस चौक पर सीटीकलब दीवार की ओर।	15x8	48,000.00
5	पाल फोर्ड शोरूम के पास डिवाइडर के प्रारम्भ में।	15x8	48,000.00
6	डी0डी0 चौक स्थित पानी की टंकी के साथ अथवा डी0डी0 चौक स्थित राम सुमेर शुक्रला बोर्ड के पास पेट्रोल पम्प में।	15x8	48,000.00

विज्ञापन शुल्क वसूली ई-निविदा की निर्धारित Key Dates निम्नानुसार है:-

S.No	Schedule/ Information	Date	Time
1	Date of online publication	9. 9. 22	11.00 AM
2	Documents download start date	9. 9. 22	11.00 AM
3	Bid submission start date	9. 9. 22	11.00 AM
4	Pre Bid Conference Date	→	12.30 PM
5	Bid submission End date	16. 9. 22	11.30 AM
6	offline submission of hard/ original copy of documents End Date	16. 9. 22	11.30 AM
7	Bid Opening Date	16. 9. 22	12.00 PM

(निशा दूबे)
कर एवं रा० मौहरिर
नगर निगम लद्दपुर
ऊधमसिंह नगर

(डा० गायत्री देवी)
कर निरीक्षक
नगर निगम लद्दपुर
ऊधमसिंह नगर

(लता आया)
कर अधीक्षक
नगर निगम लद्दपुर
ऊधमसिंह नगर

सहायक नगर आयुक्त
नगर निगम लद्दपुर
ऊधमसिंह नगर

(जुबक माहन सक्सेना)
वरिष्ठ वित्त अधिकारी
नगर निगम लद्दपुर
ऊधमसिंह नगर

(विशाल मिश्रा)
I.A.S
नगर आयुक्त
नगर निगम लद्दपुर
ऊधमसिंह नगर

(रामपाल सिंह)
भा० महापौर
नगर निगम लद्दपुर
ऊधमसिंह नगर